छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 81/2006</u>

श्री रमेश कुमार अग्रवाल,
सत्यम कुंज,
नया गंज, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ.
कार्यालय कलेक्टर, जिला कार्यालय
राजनांदगांव (छ.ग.)

2. श्री सुनील जैन,
तत्कालीन जन सूचना अधिकारी,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
रायगढ.
वर्तमान संयुक्त कलेक्टर,
जिला कार्यालय राजनांदगांव (छ.ग.)

3. श्री एस. एन. राठौर,
तत्कालीन जन सूचना अधिकारी,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
रायगढ. .... प्रतिअपीलार्थीगण
वर्तमान अतिरिक्त कलेक्टर, रायगढ़ (छ.ग.)

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 08 नवम्बर 2006)

अपीलार्थी श्री रमेश कुमार अग्रवाल निवासी–रायगढ़ के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19 के अंतर्गत आयोग के समक्ष प्रथम अपीलीय अधिकारी अतिरिक्त कलेक्टर, रायगढ़ के आदेश दिनांक 13–03–2006 से असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने अपील आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा दिनांक 14–12–2005 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को आवेदन पत्र देकर ऐसे उद्योगों की जानकारी चाही, जिन्होंने पर्यावरण एवं वन विभाग भारत सरकार की पर्यावरण संबंधी सहमति के बिना कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। जन सूचना अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के द्वारा आवेदन पत्र अपीलार्थी को मूलतः वापिस कर सूचित किया गया कि पर्यावरण अधिकारी, रायगढ़ के समक्ष आवेदन करें। इसके विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त कलेक्टर को अपील

प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 13–03–2006 में उल्लेख किया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि प्रकरण पर्यावरण विभाग से संबंधित है। वैसे भी विधिक एवं पूर्ण जानकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, अतः अपीलार्थी संबंधित विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

3/ आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 31–7–2006 को प्रतिअपीलार्थी नोटिस देने के बाद भी अनुपस्थित रहा। अतः उसके विरूद्ध 20,000/– रूपए की शास्ति का कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये तथा अपीलार्थी को जानकारी 15 दिन में निःशुल्क प्रदान करने एवं 250/– रूपए की क्षतिपूर्ति विभाग द्वारा देने के आदेश दिये गये। दिनांक 12–9–2006 को अनुविभागीय अधिकारी श्री एस. एन. राठौर उपस्थित हुए तथा उन्होंने बतलाया कि वास्तविक विलम्ब श्री सुनील जैन तथा श्री एस. एन. राठौर, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में हुआ है, अतः आयोग के द्वारा उक्त दोनों अधिकारियों को 10,000–10,000 रूपए की शास्ति का कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। श्री ए. के. अग्रवाल वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी को पूर्व में जारी नोटिस निरस्त किया गया। आयोग के समक्ष श्री सुनील जैन ने दिनांक 31–10–2006 को कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब दिया। श्री एस0एन0राठौर तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा भी उत्तर प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों एवं प्रतिअपीलार्थियों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया। अपीलार्थी ने बताया कि पर्यावरण से संबंधित जानकारी अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपलब्ध थी। पूर्व में इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा भी जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड को कार्य बंद करने हेतु भी लिखा गया था। प्रतिअपीलार्थी श्री सुनील जैन के द्वारा अपने जवाब में बतलाया गया कि उनके कार्यालय में पर्यावरण से संबंधित जानकारी नहीं रहती है, अतः उन्होंने सद्भावनापूर्वक पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के समक्ष आवेदन पेश करने हेतु आवेदक को सूचित कर आवेदन वापस कर दिया था। अपीलीय अधिकारी ने भी अपने आदेश में जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराने के निर्देश नहीं दिये थे। प्रकरण से स्पष्ट होता है कि आवेदक ने पूरे जिले के ऐसी उद्योगों की जानकारी चाही थी, जिन्होंने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अनुमति के बगैर विस्तार कार्य प्रारंभ कर दिया। उल्लेखनीय है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूचना अधिकारी का क्षेत्राधिकार केवल रायगढ़ अनुविभाग ही है, सम्पूर्ण जिले की जानकारी वे नहीं दे सकते। अपीलार्थी के द्वारा श्री राकेश जिंदल को राजस्व प्रकरण क्रमांक–121/अ–2/2004–2005 दिनांक 7–5–2005 के नोटिस में पर्यावरण का उल्लेख अवश्य किया है, किन्तु यह भी उल्लेख किया है कि जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड के द्वारा बिना भूमि–व्यपवर्तन के निर्माण कार्य किया जा रहा है। अनुविभागीय अधिकारी ने भूमि के व्यपवर्तन के संबंध में ही नोटिस जारी किया है, जो कि उनका क्षेत्राधिकार है। पर्यावरण संबंधी सहमति से संबंधित प्रकरणों का क्षेत्राधिकार अनुविभागीय अधिकारी का नहीं है। यह संबंधित विभाग से ही जानकारी प्राप्त हो सकती है। भूमि–व्यपवर्तन पर्यावरण संबंधी भारत सरकार की सहमति के बिना नहीं किये जा सकने का उल्लेख भी नोटिस में है। इससे स्पष्ट है कि नोटिस केवल भूमि के व्यपवर्तन से संबंधित है। अतः अपीलार्थी का यह तर्क कि भारत सरकार की सहमति के बिना उद्योगों के द्वारा निर्माण या विस्तार कार्य करने की जानकारी अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में थी,

मान्य नहीं की जा सकती। अपीलार्थी ने ऐसा कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि पर्यावरण संबंधी जानकारी क्षेत्राधिकार में होने के पश्चात् भी अपीलार्थी को नहीं दी गई। अपीलार्थी ने यह बतलाया कि उसे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा 31–8–2006 के पत्र के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण संरक्षण मण्डल से प्राप्त जानकारी प्राप्त हो गई है। इस पत्र से भी यह स्पष्ट है कि जानकारी पर्यावरण संरक्षण मण्डल से आयोग के निर्देश पर बुलाकर अपीलार्थी को दी गई। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में यह जानकारी उपलब्ध नहीं थी। पर्यावरण संरक्षण मण्डल स्वतंत्र संस्था है, तथा उसके सूचना अधिकारी पृथक से नियुक्त हैं।

4/ प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी श्री सुनील जैन के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश अपीलार्थी को जानकारी नहीं दी गई यह सिद्ध नहीं होता। चूँकि उनके कार्यालय में उक्त जानकारी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने संबंधित कार्यालय से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी को उनका आवेदन पत्र वापस किया। पर्यावरण से संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी अलग हैं। अतः संबंधित जानकारी उन्हीं से ही आवेदक को प्राप्त करना चाहिए थी। चूँकि प्रतिअपीलार्थी श्री सुनील जैन के विरूद्ध जानकारी जानबूझकर अथवा द्वेषवश या विलम्ब से देने का आरोप सिद्ध नहीं होता है, अतः उनके विरूद्ध जारी शास्ति का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है।

5/ श्री एस. एन. राठौर तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी का यह कथन है कि उनकी कार्यावधि में इस प्रकरण से संबंधित किसी के द्वारा कोई जानकारी नहीं मांगी गई, और न ही दी गई। श्री राठौर को आयोग के द्वारा जारी नोटिस प्राप्त हो गया था तथा वे सूचना उपरांत उपस्थित नहीं हुए, उन्हें उपस्थित होकर आयोग को वस्तुस्थिति अवगत कराना था। आयोग के द्वारा 15 दिन में निःशुल्क जानकारी प्रदान करने के उन्हें निर्देश दिये गये थे। अतः उन्हें इस संबंध में आयोग के द्वारा जारी किये गये पत्र के उत्तर में जवाब प्रस्तुत करना था। आयोग के नोटिस में संलग्नक प्राप्त न होने के कारण जवाब नहीं दिये जाने का उत्तर संतोषप्रद नहीं माना जा सकता। यद्यपि उनके द्वारा जानबूझकर आयोग के आदेशों की अवहेलना नहीं की गई है, किन्तु भविष्य के लिए उन्हें सचेत किया जाता है। श्री राठौर के विरूद्ध जारी किया गया शास्ति का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है। चूँकि अपीलार्थी को आयोग के द्वारा निर्देश के बाद भी जानकारी नहीं दी गई, जिससे कि अपीलार्थी को मानसिक एवं आर्थिक क्षति पहूँची है, अतः पूर्व में आयोग के द्वारा अपीलार्थी को 250/– रूपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश यथावत् रखा जाता है। कलेक्टर, रायगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि वे पूर्व आदेशानुसार आवेदक को क्षतिपूर्ति प्रदान करें।

6/ उपरोक्त निर्देश के साथ अपील अस्वीकार की जाती है।

हस्ता0/– 8–11–2006
(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त